लेखा·योग

142. 11वाँ धर्मादेश

Aug-Sep 08/ रा. भाद्रपद १९३०: Rel: मई 2009

Accountaid™
Accounting for Aid. Aid in Accounting

इस अंक में

पंजीकरण करवाएं • जमाखोरी न करें • विदेश में खर्चा न करें पृष्ठ 1

लालच न करें • शेयर न खरीदें • आय का पूरा ब्यौरा दें • कर्ता - धर्ता को कर्ज न दें पृष्ठ 2

टैक्स ज़रूर काटें • सस्ते में न बेचें • बिना अनुमति संशोधन न करें • व्यापार या व्यवसाय जैसी कोई गतिविधि न करें पृष्ठ 2

कहा जाता है कि ईश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा को दर्शन दिए थे और उन्हें जनकल्याण के लिए 10 धर्मादेश (कमांडमेंट्स) दिए थे। ये 10 धर्मादेश मूसा के अनुयायियों के लिए सबसे पहला कानून था जिसका पालन न करने पर नुकसान होता था। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में इन धर्मादेशों की यादगार में एक स्मारक बनवाया गया है।

हमारे देश के स्वैच्छिक संगठनों (एनजीओ) के लिए मौजूदा कर कानून थोड़ा अलग है मगर इन धर्मादेशों जितना ही बाध्यकारी है। यह कानून भी 10 धर्मादेशों के संग्रह से बनता है। जन सेवी संगठन इन नियमों का पालन ठीक उसी निष्ठा से करतें हैं जिस प्रकार पौराणिक युग में लोग धर्मादेशों का पालन करते थे। हाल ही में सरकार ने इस कानून में एक और धर्मादेश जोड़ दिया है।

लेखा योग के इस अंक में आय कर कानून के सभी 11 धर्मादेशों की सूची दी गई है। इसमें ये भी बताया गया है कि एक आधुनिक जनसेवी संगठन को 11वें धर्मादेश का किस तरह से पालन करना चाहिए।

1. पंजीकरण करवाएं ...

...अगर आपकी आमदनी डेढ़ लाख रुपए सालाना से बढ़ जाती है। इससे, धारा 12ए[1] के तहत, आपको कर से छूट मिलती है।

इसके अलावा आपको पैन[2] के लिए भी आवेदन देना चाहिए ताकि आपको सूचीबद्ध किया जा सके और आप पर लगातार नज़र रखी जा सके।

2. जमाखोरी न करें ...

...अगर आपने परोपकारी कार्यों के लिए कोई अनुदान इकट्ठा किया है।[3] आपको अनुदान का कम से कम 85 प्रतिशत भाग हर साल परोपकारी या धार्मिक कार्यों पर खर्च करना होगा। आपके काम के लिए ज़रूरी अचल परिसम्पत्ति एवं स्थायी संपदाओं पर होने वाला खर्चा भी इसी श्रेणी में आता है।

अगर आप 85 प्रतिशत खर्च न कर पाएं तो? तब आपको बची राशि को अगले साल के खाते में ले जाने के लिए अर्ज़ी देनी होगी। इसका मतलब यह है कि आप अगले साल खर्चा बढ़ा कर पिछले साल के कम खर्च की भरपाई कर सकते हैं।

अगर आपको किसी ऐसी परियोजना के लिए अनुदान मिला है जो तीन-चार साल तक चलने वाली है तो? ऐसे में आपको फॉर्म 10 के ज़रिए संचय के लिए आवेदन देना होगा। इसके आधार पर आपको परियोजना की राशि अगले पांच साल तक खर्च करने की अनुमति मिल जाएगी।

आपने आमदनी के खाते में जो पैसा दिखाया है अगर आपको वह पूरा पैसा प्राप्त ही न हुआ हो तो? तब आपको वह पैसा या तो उसी साल खर्च करना होगा जिस साल आपको पैसा मिला है या फिर उसको अगले साल खर्च करना होगा।

3. विदेश में खर्चा न करें ...

...अगर उस चीज़ या उद्देश्य पर खर्चा करने में भारत की रूचि न हो।

---

[1] इस बारे में और विवरण के लिए लेखा योग 15 देखें।

[2] परमानेंट एकाउंट नंबर (PAN)

[3] आपकी निधि के लिए प्राप्त राशियों के अलावा।

www.AccountAid.net

4. लालच न करें ...

...और संस्था की संपदाओं के प्रति कोई चाह न रखें। यह बात सभी मुख्य व्यक्तियों[4], यानी संगठन चलाने वाले लोगों पर लागू होती है। वे संगठन के उपकरण, वाहन, संपदाओं या परिसर का उचित भुगतान किए बिना उपयोग नहीं कर सकते।

वे संगठन के उपकरण, वाहन, संपदाओं या परिसर का उचित भुगतान किए बिना उपयोग नहीं कर सकते।

इसके अलावा, आप संगठन की आय को वेतन या शुल्क के रूप में प्रमुख कर्ता-धर्ताओं को न प्रदान करें। यदि इस तरह का भुगतान ज़रूरी हो तो वह तर्कसंगत होनी चाहिए। यह भुगतान वास्तविक सेवाओं के बदले होना चाहिए। ऑडिटर्स को इस लेन-देन का ब्यौरा भी फॉर्म 10बी में देना होगा जो कि आय कर रिटर्न के लिए ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा होता है।

5. शेयर न खरीदें ...

...और न ही किसी व्यवसाय में पूंजी लगायें। हां, यदि किसी व्यवसाय में निवेश संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो तो ऐसा कर सकते हैं। परंतु शेयर खरीदना सख्त मना है। यदि आपको दान के रूप में किसी निजी कंपनी के शेयर प्राप्त होते हैं तो या तो आप उनको हस्तांतरित करके या प्राप्ति वर्ष के दौरान, यानी अगली 31 मार्च से पहले, ही उन्हें बेच कर उनसे छुटकारा पा सकतें हैं।

आप संस्था के पैसों का, म्यूचुल फंड या कुछ खास सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश ज़रूर कर सकते हैं। अन्यथा आपको अपना पैसा किसी अनुसूचित बैंक, डाक घर या किसी कोऑपरेटिव सोसायटी में ही रखना चाहिए।[5]

6. आय का पूरा ब्यौरा दें ...

...इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए यदि आपकी आमदनी कर लगाने योग्य[6] है। फॉर्म आईटीआर 7 हर साल 30 सितंबर तक जमा कराना होगा।

7. कर्ता - धर्ता को कर्ज न दें ...

...संस्था के पैसे में से न तो मुख्य व्यक्ति को कम ब्याज दर पर कर्जा दें और न ही ज़्यादा ब्याज दर पर संस्था के प्रमुख व्यक्तियों से कर्जा लें।

8. टैक्स ज़रूर काटें ...

...अगर आप वेतन, किराये, ठेकेदारों को भुगतान, फीस आदि दे रहें हैं। आपको कानून के अनुसार टैक्स काट कर उसे जल्द से जल्द सरकार के खाते में जमा कराना होगा।

यदि आपको दान के रूप में किसी निजी कंपनी के शेयर प्राप्त होते हैं तो या तो आप उनको हस्तांतरित करके या प्राप्ति वर्ष के दौरान यानी अगली 31 मार्च से पहले ही उन्हें बेच कर उनसे छुटकारा पा सकतें हैं।

आपको टीडीएस रिटर्न भी जमा कराने होंगे जिनमें तिमाही कर संग्रह और जमा किए हुए कर का ब्यौरा देना होगा।

9. सस्ते में न बेचें ...

...संस्था की संपत्ति या संस्थाओं को किसी मुख्य व्यक्ति को कम दाम पर नहीं बेचना चाहिए।

आप प्रमुख व्यक्तियों से ऊँची दर पर कोई संपत्ति या अन्य संपदा भी नहीं खरीद सकते हैं।

10. बिना अनुमति संशोधन न करें ...

...आपको ट्रस्ट डीड या मैमोरेंडम और उसके उप-नियमों में कोई भी संशोधन करने के लिए आय कर विभाग की अनुमति लेनी होगी।

11. व्यापार या व्यवसाय जैसी कोई गतिविधि न करें ...

...अगर आप 'सार्वजनिक उपयोग के किसी अन्य उद्देश्य के हित में' आधुनिक किस्म का एनजीओ चला रहे हैं।[7]

केवल शिक्षा, चिकित्सा राहत या गरीबों की राहत के लिये काम करने वाले संगठनों को ही इस नियम से छूट मिलेगी।

---

[4] इस बारे में और विवरण के लिए लेखा योग 52 देखें।

[5] अन्य प्रकार के निवेशों के लिए आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 11(5) देखें।

[6] इस समय डेढ़ लाख

[7] वित्त वर्ष 2008-09 से लागू। इस बारे में और जानकारी के लिए लेखा योग 141 और एकाउंटएड कैप्सूल 274 देखें।

(Across): 1.ऑडिट 2.वेतन 3.पन्जीकरण 4.सन्चय 5.शेयरबाज़ार 6.व्यवसाय
(Down): 3.परोपकार 4.सरकार 7.छूट 8.हस्तांतरण 9.अनुदान 10.आय
11.मुख्यव्यक्ति

accountable-subscribe@topica.com

ग्यारहवें धमदिश का धर्मोचित उपाय -

क्या आप आधुनिक भारतीय एनजीओ होते हुए भी आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहें हैं? मसलन, क्या आप ग्रीटिंग कार्ड या हैंडीक्राफ्ट्स बेच कर पैसा जुटा रहे हैं?

यदि आप इस 'व्यावसायिक' गतिविधि को एक अलग मुनाफे वाली निकाय के रूप में नहीं दिखाते हैं तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको इस निकाय की कानूनी पहचान और टैक्स पंजीकरण संख्या (पैन) लेना होगा। उसका बोर्ड और स्वामित्व भी अलग होगा।

अब सवाल उठता है कि व्यावसायिक गतिविधि के लिए भवन और अन्य उपकरणों का क्या किया जाएगा?

आपको इन साधनों को नए व्यावसायिक निकाय को बेचना होगा। यदि व्यावसायिक निकाय के पास इन चीज़ों का भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है तो उसे दीर्घावधि ऋण के ज़रिए बेचा जा सकता है। इस ऋण पर उचित ब्याज भी वसूल किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुख्य व्यक्तियों के साथ लेन-देन में कोई समस्या नहीं है।

व्यवसाय जैसी गतिविधियों से होने वाली सारी आय इस नए निकाय द्वारा प्राप्त की जाएगी। उस से संबंधित खर्चों का भी इसी निकाय में हिसाब किया जाना चाहिए। हर साल यह निकाय लाभ एवं हानि खाता तैयार करेगा और ऑडिट करवा कर इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराएगा।

संभव है कि सारे खर्चों का हिसाब करने पर आपको पता चले कि यह व्यवसायिक निकाय वास्तव में कोई मुनाफा नहीं दे रहा है। ऐसे में या तो बहुत मामूली कर देना होगा या बिल्कुल नहीं देना होगा। ऐसी स्थिति का फायदा यह है कि आपकी मुख्य परोपकारी गतिविधि आय कर छूट के अधिकार और अनुदान जुटाने के लिए मिली अनुमति को गंवाने की आशंका से बची रहेगी।

अगर यह निकाय वास्तव में खूब पैसा बना रहा हो तो? ऐसी स्थिति में आपको अपने एनजीओ के लिए 35एसी मंजूरी के लिए आवेदन करना चाहिए। इसके बाद व्यावसायिक निकाय के मुनाफे को एनजीओ में दान दे दिया जाएगा जिस पर निकाय को 100 प्रतिशत कर रियायत मिल जाएगी। ऐसी सूरत में व्यावसायिक निकाय के पास कोई कर योग्य आय नहीं बचेगी। आमदनी नहीं तो आय कर नहीं! सीधी सी बात है।

लेखा योग क्या हैः

'लेखा-योग' के प्रत्येक अंक में एनजीओ नियमन या लेखांकन से संबंधित किसी खास मुद्दे को उठाया जाता है और इसे 1,500 गैर-सरकारी संगठनों, एजेंसियों और ऑडिट कंपनियों को भेजा जाता है। अगर कार्यशालाओं या एनजीओ न्यूज़लैटर्स में गैर-व्यावसायिक कामों के लिए 'लेखा-योग' का पुनर्प्रकाशन या वितरण किया जाता है तो अकाउंटएड को कोई एतराज नहीं है बशर्ते आप इस बात का उल्लेख कर दें कि आपने यह सामग्री 'लेखा-योग' से ली है।

अंग्रेजी में लेखा-योगः

लेखा-योग अंग्रेजी में 'अकाउंटेबल' के नाम से उपलब्ध है।

कानून की व्याख्याः

यहां कानून की जो व्याख्या दी गई है वह काफी सामान्य स्तर पर है। कोई भी अहम फैसला लेने से पहले अपने सलाहकारों से बात ज़रूर करें।

इंटरनेट पर लेखा-योगः

'लेखा-योग' के कुछ चुने हुए अंक हमारी वेबसाइट - **www.AccountAid.net.** पर उपलब्ध हैं। लेखायोग के नए अंकों की अपलोडिंग के बारे में ई-मेल से जानकारी हासिल करने के लिए **lekhayog-subscribe@topica.com.** पर एक ई-मेल भेजें। इसके बाद पुष्टि के लिए टॉपिका आपको एक मेल भेजेंगी। अपनी सदस्यता चालू करवाने के लिए इस मेल का उत्तर अवश्य दें।

अकाउंटएड कैप्सूलः

इसमें एनजीओ लेखांकन और इससे जुड़े मुद्दों से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। इसकी सदस्यता लेने के लिए **accountaid-subscribe@topica.com.** पर ई-मेल भेजें। इसके बाद पुष्टि के लिए टॉपिका आपको एक मेल भेजेंगी। अपनी सदस्यता चालू करवाने के लिए इस मेल का उत्तर अवश्य दें।

इंटरनेट पर आपके खातेः

आपके खातों का सार-संकलन करके उन्हें इंटरनेट पर प्रकाशित किया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें आप अपनी सालाना रिपोर्ट में भी शामिल कर सकते हैं। इस के उदाहरण **www.AccountAid.net.** पर देखें। और ज़्यादा जानकारी के लिए **accountaid@gmail.com** पर हमें लिखें।

सवाल और स्पष्टीकरण?

अकाउंटएड एनजीओ लेखांकन या वित्तीय नियमन से जुड़े सवालों पर गैर-सरकारी संगठनों और उनके ऑडिटर्स को सलाह देता है। आप भी अपने सवाल ई-मेल या खत के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो फोन पर भी हमसे बात कर सकते हैं।

टिप्पणियांः

आप अपनी टिप्पणियां और सुझाव अकाउंटएड इंडिया, 55 बी, पॉकेट सी, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110014 पर भेज सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-26343128; फोन/फैक्स : 011-26343852;
ई-मेलः **accountaid@gmail.com**

© अकाउंटएड इंडिया विक्रम संवत २०६६ ज्येष्ठ, ईस्वी सन् मई 2009.

कु संचिता चक्रवर्ती द्वारा अकाउंटएड इंडिया, नई दिल्ली, फोन 26343128 के लिए मुद्रित एवं प्रकाशित तथा प्रिंटवर्क्स, नई दिल्ली, फोन 26811689, 9810653101 से मुद्रित।

लेखः श्री संजय अग्रवाल; **अनुवादः** श्री योगेन्द्र दत्त
अनुसंधान, चित्र एवं सम्पादनः कु. संचिता चक्रवर्ती
डिज़ाइनः श्रीमती मोऊशुमी डे
केवल निजी प्रसार के लिए।

जन सेवी संगठन और आयकर

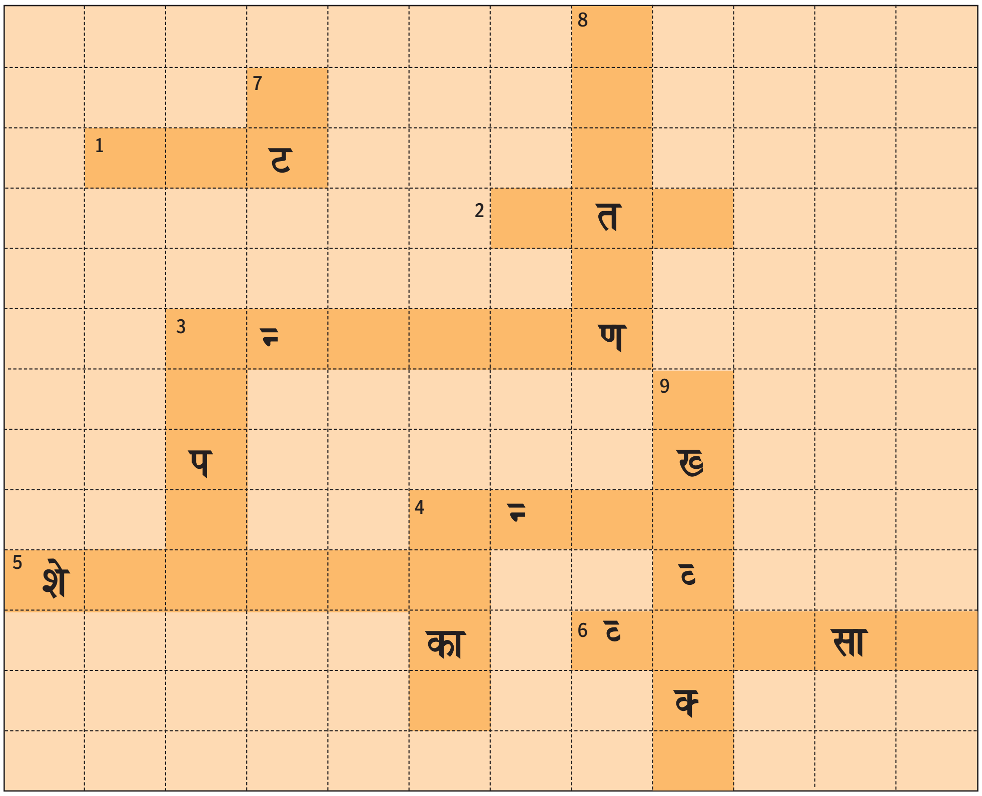

बायें से दायें (Across)

1 खातों का लेखांकन (3 अक्षर)
2 इसका भुगतान तर्कसंगत एवं उचित राशि का हो (3 अक्षर)
3 १,५०,००० से अधिक आय पर कर से छूट के प्रावधान के लिए यह ज़रूरी है। (5·5 अक्षर)
4 इसके लिए फार्म १० फाइल करना ज़रूरी है। (3·5 अक्षर)
5 इसमें प्रत्यक्ष निवेश नहीं करना चाहिए (6 अक्षर)
6 ग्यारहवें धर्मादेश के अनुसार आयकर से मुक्त होने के लिए यह एक प्रतिषिद्ध गतिविधि है। (4·5 अक्षर)

ऊपर से नीचे (Down)

3 जन कल्याणार्थ किया गया कार्य (5 अक्षर)
4 कर के द्वारा आय अर्जित करने वाली संस्था (4 अक्षर)
7 ग्यारहवें धर्मादेश के अनुसार व्यावसायिक उद्येश्य से कार्य करने वाले संगठनों को आयकर की ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। (2 अक्षर)
8 ये निवेश की गई संपत्ति के निष्पादन का तरीका है। (5·5 अक्षर)
9 ये व्यवसाय का कार्यभार संभालते हैं। (5·5 अक्षर)

accountaid@gmail.com